संख्या-06/2020/181/46-1-2020-1000(29)/2018

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-23 (गन्ना) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कम पड़ रही धनराशियों हेतु पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1466/लेखा-बजट (पुनर्विनियोग-104)/2019-20, दिनांक 24.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-23(गन्ना) लेखाशीर्ष- "2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना-01-वेतन" में उपलब्ध धनराशि रू.14804.26 लाख में घटित होने वाली बचतों में से रू.122.40 लाख (रूपये एक करोड़ बाइस लाख चालीस हजार मात्र) को **लेखाशीर्ष-"2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान** के अन्तर्गत मानक मदों यथा-58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू.1.80 लाख, **लेखाशीर्ष- "2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत मानक मदों यथा-**01-वेतन मद में रू.11.00 लाख, 03-मंहगाई भत्ता मद में रू.9.00 लाख, 09-विद्वुत देय मद में रू. 2.00 लाख, 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व मद में रू.5.00 लाख, 49-चिकित्सा व्यय मद में रू.1.00 लाख, 55-मकान किराया भत्ता मद में रू.1.00 लाख एवं 56-नगर प्रतिकर भत्ता मद में रू.0.10 लाख तथा **लेखाशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना** के अन्तर्गत **मानक मदों यथा-**05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में रू.5.00 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू.1.50 लाख, 49-चिकित्सा व्यय मद में रू.10.00 लाख एवं 55-मकान किराया भत्ता मद में रू.75.00 लाख संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग की अनुमति सहित व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जाये।

3. उक्त बचत की धनराशि गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। जिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद से अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा उसका सदपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

4. बजट मैनुअल तथा शासन के अस्थायी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूपों में (बी.एम.-13) व्यय की सूचना शासन के वित्त विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-23(गन्ना) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-108 वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना-01 वेतन मद में घटित बचतों को पुर्नविनियोजित करते हुये उसी अनुदान संख्या के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक "2401-**फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान, **लेखाशीर्षक-"2401-**फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय तथा **लेखाशीर्षक "2401-** फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना के अन्तर्गत संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) में उल्लिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-6-125/दस-2020, दिनांक 03 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-06/2020/181(1)/46-1-2020-1000(29)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है